

राजस्थान सरकार
कार्यालय वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग
(साधारण बीमा निधि)
“डी”-ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर।

क्रमांक : F4(SI&PF/GIS/Deptt Audit/2016

दिनांक

कार्यालय आदेश

प्रमुख शासन सचिव (वित्त) के कक्ष में आयोजित बैठक 18.05.2012 के कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 3 की अनुपालना में मुख्यालय के आदेश क्रमांक एफ.1(ए)161/संस्था/ बीमा/2013 दिनांक 03.09.2013 के द्वारा साधारण बीमा निधि की संचालित योजनाओं के अंकेक्षण का कार्य किये जाने हेतु “अंकेक्षण दल” का गठन किया गया है।

इस क्रम में निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित जिलों का दिनांक को वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंकेक्षण कार्य किये जाने हेतु भ्रमण की एतद द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

अंकेक्षण दल को निर्देशित किया जाता है कि साधारण बीमा निधि की संचालित विभिन्न योजनाओं के दावों, सर्विस टैक्स, अन्डर राईटिंग इत्यादि की जांच कर अपनी रिपोर्ट अधोहस्ताक्षर को प्रस्तुत करेंगे:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी कर्मचारी व पद	जिले का नाम	भ्रमण की दिनांक
1	2	3	4
1	श्री अमित जौहरी, अति.निदे. एवं कार्यालयाध्यक्ष	जालौर	8.8.2016 से 10.8.2016
2	श्री रविन्द्र माथुर, सीजी प्रथम		
3	श्री गोपाल, सीजी द्वितीय		

क्र.सं.	नाम अधिकारी कर्मचारी व पद	जिले का नाम	भ्रमण की दिनांक
1	2	3	4
1	श्री सुरेश कुमार मीना, उप निदेशक	सीकर	22.8.2016 से 24.8.2016
2	डॉ नीरो शर्मा, सहा.लेखा.		
3	श्रीमती लता आसनानी, सीजी द्वितीय		

क्र.सं.	नाम अधिकारी कर्मचारी व पद	जिले का नाम	भ्रमण की दिनांक
1	2	3	4
1	श्री कैलाश चन्द शर्मा, सहा.निदे.	बारां	02.8.2016 से 04.08.2016
2	श्री विजेन्द्र वर्मा, सीजी द्वितीय		
3	श्री हरफूल सेपट, सीजी द्वितीय		

क्र.सं.	नाम अधिकारी कर्मचारी व पद	कार्यालय का नाम	भ्रमण की दिनांक
1	2	3	4
1	श्री चन्द्रशेखर मिश्रा, उपनिदेशक	ब्यावर	02.8.2016 से 04.08.2016
2	श्री लोकेन्द्र सिंह राठौड, सहा.लेखाधिकारी		
3	श्री उमेश मथुरिया, सीजी प्रथम		

क्र.सं.	नाम अधिकारी कर्मचारी व पद	जिले का नाम	भ्रमण की दिनांक
1	2	3	4
1	श्रीमती ऋतु नन्दा, अति.निदे.	बांसवाड़ा	10.8.2016
2	श्री मुकेश टंडन, सीजी द्वितीय		से
3	श्री अमित चन्देल, सीजी द्वितीय		12.08.2016

क्र.सं.	नाम अधिकारी कर्मचारी व पद	जिले का नाम	भ्रमण की दिनांक
1	2	3	4
1	श्री पूर्ण चन्द बैरवा, प्रशा.अधि.	धौलपुर	22.8.2016
2	श्री देवराज सिंह, सीजी द्वितीय		से
3	श्री करण सैनी, सीजी द्वितीय		24.08.2016

समस्त दल प्रभारी अन्तिम लेखों के आंकड़ों एवं सेवाकर की जाँच पर टिप्पणी रिपोर्ट में आवश्यक रूप से सम्मिलित करावे। कार्यभार कम होने पर वित्तीय वर्ष 2015-16 का अंकेक्षण सम्पादित करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें। **निदेशक महोदय से अनुमति प्राप्त है।**

३०

(किशनाराम ईशरवाल)
वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक
साबीनि, जयपुर

क्रमांक : F4()SI&PF/GIS/Deptt Audit/2016 1501-1539

दिनांक 25-7-16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, साधारण बीमा निधि विभाग, जयपुर।
4. वरिष्ठ अति.निदे./अति.निदे./संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग संभाग जोधपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, कार्यालय जालौर, सीकर, बारां, ब्यावर, बांसवाड़ा एवं धौलपुर को भेजकर लेख है कि उक्त भ्रमण दिवसों को संबंधित कर्मचारी को रिकार्ड के साथ उपस्थित रहने के लिए पाबंद करावे तथा संभाग कार्यालय के पत्रांक 1438-1488 दिनांक 29.6.16 के क्रम में ऑडिट दल को लेखा प्रतिनिधि भी उपलब्ध करावे।
5. प्रशासनिक अधिकारी, संस्थापन, साबीनि, जयपुर।
6. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, जीआईएस, जयपुर कार्यालय (दो अतिरिक्त प्रति)।
8. सहायक लेखाधिकारी, अंकेक्षण साबीनि, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

(विष्णु कुमार भारद्वाज)
लेखाधिकारी
साबीनि, जयपुर